

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3

संख्या- 17/2017/सा-3-जी0आई0-11/दस-2017-301/2000 टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2017

### कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन/ अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृति।

पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ अनन्तिम पेंशन आहरित कर रहे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-25/2016/सा-3-जी0आई0-1/दस-2016-301/2000 टी0सी0 दिनांक 19 जुलाई, 2016 द्वारा दिनांक 01-01-2016 से 245 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत स्वीकृत की गयी थी। भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/3/2008-E-II(B), दिनांक 07-04-2017 के द्वारा उक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 256 प्रतिशत एवं 01 जनवरी, 2017 से 264 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत अनुमन्य की गयी है।

2- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उपर्युक्तानुसार दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 256 प्रतिशत मासिक एवं दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 264 प्रतिशत मासिक की दर से महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

3- यह भी स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4- चूँकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

5- उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तदनुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अजय अग्रवाल  
सचिव, वित्त।

संख्या-17/2017/सा-3-जी0आई0-11(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, 30प्र0 शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
- 8- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
- 9- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,  
नील रतन कुमार  
विशेष सचिव।